न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 32/2019

अपीलान्ट्स

श्रीमती शांता देवी पुत्री स्व0 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश, पत्नी जगदीश, जाति माली, निवासी– 261, भादरवा बेरा, चौखा, जिला जोधपुर। हाल निवासी ढीमड़िया बेरा, बिजवाड़िया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पप्पुराम पुत्र स्व0 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
2. अचलाराम पुत्र स्व0 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
3. मीरादेवी पत्नी स्व0 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
4. कंचन पुत्री स्व0 ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
   जातियान माली, निवासीगण 261, भादरवा बेरा, चौखा, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1586 दिनांक 23.12.2001 मौजा ग्राम सालावास, जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भवानीसिंह भलासरीया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री भैराराम चौधरी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–04.09.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1586 दिनांक 23.12.2001 मौजा ग्राम सालावास, जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी हिन्दु परिवार की भूमि ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नं0 39/1 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा 15 बिस्वांसी कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित खसरे की भूमि जो कि मूल खसरा नं0 39 कुल रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा का भू–भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

है, जो कि पूर्व में अपीलान्ट के पिता ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मगनाराम व अन्य सह खातेदारान् के नाम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। तदुपरान्त ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश के फौत होने पर उनके हिस्से की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 03 क्रमशः पप्पुराम व अचलाराम (पुत्र) व मीरादेवी (पत्नी) के नाम नामान्तरकरण 1586 स्वीकृत कर दिया, जिसमें अपीलान्ट श्रीमती शांता देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कंचन, जो कि ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश की जायन्दा पुत्रियां है। उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह गया। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1586 दिनांक 23.12.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री भैराराम ने वकालतनामा पेश किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1586 जो तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 23.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के 18 वर्षो तक अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः मियाद के बिन्दु पर यह अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ओमाराम के फौत हो जाने पर पप्पुराम व अचलाराम (पुत्र) तथा मीरा देवी (पत्नी) का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण 1586 जो दिनांक 23.12.2001 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया में दर्ज किया गया जबकि अपीलान्ट श्रीमति शान्ता देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 कंचन जो ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश की जायन्दा पुत्रियां है उनका नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। जो हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक ओमाराम पुत्र मगनाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 1586 दिनांक 23.12.2001 जो तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वह मृतक के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.10.17 17:47:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: